सेमेस्टर–पद्धति में प्रस्तावित परियोजना–कार्य

सभी संकाय के प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक विद्यार्थी को एक परियोजना कार्य अनिवार्यतः पूर्ण करना होगा। परियोजना कार्य का उद्देश्य रोज़गार/स्वरोज़गार के स्थलों/अवसरो की खोज करना एवं उस कार्य के लिये आवश्यक कौशल/ज्ञान प्राप्त करना होगा। परियोजना कार्य के अन्तर्गत रोज़गार/स्वरोज़गार के खोजे जाने वाले अवसर विद्यार्थी के विषय से संबंधित होना चाहिए तथा वास्तविक होना चाहिए। प्रथम सेमेस्टर से विद्यार्थी को रोज़गार–मूलक परियोजना कार्य से संबद्ध करने का मुख्य उद्देश्य आगे के सेमेस्टरो में उसी विधा में स्थल पर प्रशिक्षण (Internship / On Job Training) दिलवाना एवं अंततः रोज़गार के योग्य बनाना है।

महाविद्यालयों में नवीन शैक्षणिक सत्र 2008–09 से सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को तैयार करने एवं परियोजना–कार्य सुचारू रूप से संचालित करने के लिये मार्गदर्शी निर्देशः

1. सेमेस्टर–पद्धति के प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थियों को 50 अंकों का एक परियोजना कार्य पूर्ण करना होगा।
2. प्रत्येक महाविद्यालय में सेमेस्टर–पद्धति के सफल क्रियान्वयन हेतु एक सेमेस्टर–सेल (प्रकोष्ठ) का गठन किया जावेगा।
3. विद्यार्थी द्वारा परियोजना–कार्य किसी ऐसे संस्थान से जुड़कर, संस्थान के निर्देशन में किया जाएगा जो विषय में रोज़गार के अवसर प्रदान कर सकता हो। विद्यार्थी को अपने विषय–समूह में से किसी एक विषय में परियोजना कार्य करना होगा।
4. सेमेस्टर–सेल के सदस्य एवं स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के प्रभारी आवश्यकता अनुरूप परियोजना–कार्य में मार्गदर्शक–शिक्षक (गाइड)/विद्यार्थियों को सहयोग प्रदान करेंगे।
5. मार्गदर्शक–शिक्षक (गाइड) विद्यार्थी को परियोजना–कार्य के लिए कार्यक्षेत्रों की सूची (बिन्दु–11) में से अथवा स्थानीय परिवेश में उपलब्धता के आधार पर विद्यार्थी को विषय के अनुसार विकल्प चयन करने का अवसर प्रदान करेगा।
6. विद्यार्थी अपने परियोजना–कार्य को निर्धारित समय–सीमा में अपने मार्गदर्शक शिक्षक/निर्देशक (गाइड) को सौंपेगा। मार्गदर्शक–शिक्षक विद्यार्थियों के परियोजना–कार्य का रिकार्ड रखेगा।
7. मूल्यांकन के पश्चात अंक–तालिका (अवार्ड–लिस्ट) सेमेस्टर प्रणाली हेतु गठित सेमेस्टर–प्रकोष्ठ को प्रस्तुत करना होगी। यह प्रकोष्ठ इन्हे विश्वविद्यालय पहुँचाएगा।
8. परियोजना–कार्य का निर्धारित प्रारूप (प्रोफार्मा) विद्यार्थी को प्रदान किया जावेगा ताकि एकरूपता बनी रहे।

9. मूल्यांकनकर्ता विषय का मार्गदर्शक–शिक्षक (गाइड) एवं बाह्य–परीक्षक मूल्यांकन के समय निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देगा :

(अ) परियोजना–कार्य हस्तलिखित है अथवा नहीं।

(ब) परियोजना–कार्य का शीर्षक विद्यार्थी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत है या नहीं।

(स) परियोजना–कार्य स्तरीय है अथवा नहीं।

(द) परियोजना–कार्य विद्यार्थी को प्रदत्त निर्धारित प्रारूप के अनुसार है या नहीं।

(इ) विद्यार्थी द्वारा वास्तविक रूप से कार्य किया गया है या मात्र औपचारिकता के रूप में प्रस्तुत किया है।

(ई) परियोजना–कार्य के उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं।

10. परीक्षा परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात् जमा किए गए परियोजना–कार्य की रिपोर्ट के प्रत्येक पृष्ठ को शिक्षक द्वारा निरस्त एवं हस्ताक्षर कर संबंधित विद्यार्थी को वापस किया जा सकेगा।

11. परियोजना कार्यों के लिये सहयोग एवं संबद्धता (Linkge) की दृष्टि से महत्वूपर्ण क्षेत्र एवं उन क्षेत्रों में रोज़गार/स्वरोज़गार के संभावित अवसरों का अध्ययन करने के लिए संकायवार विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है :

(अ) वाणिज्य संकाय के क्षेत्र

(ब) विज्ञान संकाय के क्षेत्र

(स) गृह–विज्ञान संकाय के क्षेत्र

(द) कला संकाय के क्षेत्र

(अ) वाणिज्य संकाय के क्षेत्र

(क) शासकीय/अर्द्ध–शासकीय क्षेत्र

(ख) निजी क्षेत्र

(ग) स्वरोज़गार क्षेत्र

(घ) सहकारी/गैर सरकारी संगठन

(क) शासकीय/अर्द्ध–शासकीय क्षेत्र

(1) किसी भी कार्यालय की कार्यपद्धति का अध्ययन – कार्यालय की प्रशासनिक, लेखा, संगठन एवं कार्यप्रणाली का अध्ययन संबंधित कार्यालय में विभिन्न पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा क्या कार्य किये जाते हैं? संबंधित पद पर नियुक्ति हेतु क्या योग्यताएँ/अनुभव चाहिये? नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? कितने पद रिक्त है? इत्यादि।

(2) बैंकों की कार्य प्रणाली एवं संचालन, विभिन्न पदों पर नियुक्ति की प्रकिया का अध्ययन।

(3) विद्यालयों में वाणिज्य शिक्षण पद्धति का अध्ययन।

(4) बीमा कंपनियों की कार्य प्रणाली का अध्ययन।

(5) अस्पताल/स्वास्थ्य–केन्द्र की प्रबंध व्यवस्था।

(6) सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम जैसे बी.एच.ई.एल., बी.एस.एन.एल., आई.ओ.सी. इत्यादि में रोज़गार के अवसर तलाशनें की दृष्टि से अध्ययन।

(ख) निजी क्षेत्र

(1) स्थानीय उद्योग (वृहत/मध्यम/कुटीर) में संगठन व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन।

(2) सेवा क्षेत्र में कार्यरत् कंपनियों में यथा दूरसंचार, कोरियर, समाचार पत्र वितरण एवं प्रकाशन, मनोरंजन क्षेत्र जैसेः रेडियो–दूरदर्शन की कार्य व्यवस्था, विज्ञापन निर्माण एवं विपणन; चार्टर्ड लेखाकार, कर–सलाहकार, कर–सहायक इत्यादि विधाओं का अध्ययन।

(3) व्यापार–वाणिज्य के क्रियाकलाप जैसेः स्थानीय मंडी की कार्यप्रणाली का अध्ययन। थोक–व्यवसाय एवं फुटकर–व्यवसाय की कार्यप्रणाली का अध्ययन।

(ग) स्वरोज़गार क्षेत्र

विद्यार्थी की रूचि एवं दक्षता के दृष्टिगत स्वरोज़गार हेतु संबंधित क्षेत्र की कार्यप्रणाली का अध्ययन। संबंधित स्वरोज़गार की स्थापना हेतु भविष्य की संभावना का अध्ययन, संसाधन अध्ययन। स्वरोज़गार स्थापना हेतु स्थानीयकरण के सिद्धांतों का अध्ययन, वित्त/बजट का पूर्वानुमान, बाजार की मांग एवं पूर्ति का अध्ययन, जोखिम तकनीको का अध्ययन, मानव संसाधन नियोजन, शासकीय नियमों एवं प्रक्रियाओं का ज्ञान, रोज़गार स्थापित करने से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, स्थापित किये जाने वाले रोज़गार से संबंधित विभिन्न शासकीय विभागों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों की कार्यप्रणाली का अध्ययन।

<u>वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिये संभावित स्वरोज़गार क्षेत्रों की सूची</u>

- एस.टी.डी. पी.सी.ओ., फोटोकापी, डाटा–एन्ट्री का कार्य
- डेयरी व्यवसाय
- किराना व्यवसाय
- मंडी में आड़तिया का कार्य
- अल्पबचत योजनाओं के एजेन्ट का कार्य
- स्कूल के बच्चों को कोचिंग का कार्य
- प्रायवेट टेलीफोन कंपनियों के एजेंन्ट का कार्य
- स्थानीय वस्तुओं के निर्माण का लघु एवं कुटीर स्तर पर कार्य
- पर्यटन स्थल पर गाइड, यातायात, होटल एजेन्ट, स्वल्पाहार गृह का कार्य
- जैविक खेती का विपणन
- प्रापर्टी एजेन्ट का कार्य
- रेल्वे–आरक्षण का कार्य
- कम्प्यूटर लेंखांकन का कार्य
- विज्ञापन–निर्माण/विज्ञापन–ऐजेंसी/विज्ञापन–बुकिंग का कार्य
- सेल्समेन
- न्यूज पेपर वितरण एजेंसी
- ट्रेवलिंग एजेन्ट का कार्य
- आईस्क्रीम, साफ्ट–ड्रिंक, आईस–केन्डी का निर्माण एवं वितरण

- नर्सिंग होम, पेथोलॉजी लेब में प्रशासन/लेंखाकन/रिसेप्शन का कार्य
- शीघ्र लेखन
- कॉल सेन्टर
- कुरियर एजेंट
- विद्युतमीटर रीडर
- समारोह प्रबंध (इवेन्ट मेनेजमेंट)
- सुरक्षा सर्विस एजेंसी
- लागत सलाहकार/सहायक
- कम्पनी सलाहकार/सहायक
- श्रंखला आपूर्ति प्रबंध (Supply Chain Management)
- कम्पनी का फ्रेंचाईजी
- साईबर–कैफे
- स्टॉक–एक्सचेंज (Stock-Exchange)

(घ) गैर सरकारी स्वेच्छिक संगंठन/सहकारी क्षेत्र

- गैर सरकारी स्वेच्छिक संगठन की स्थापना, पंजीयन एवं कार्यप्रणाली का अध्ययन।
- एन.जी.ओ. के माध्यम से सांख्यिकी एवं अन्य सर्वेक्षण कार्य।
- विद्यार्थियों के समूह द्वारा एन.जी.ओ. का गठन एवं विभिन्न विभागों से परियोजनाऐं स्वीकृत कराकर कार्य करना।
- एन.जी.ओ. हेतु प्रशासन/प्रबंध/वित्तीय सलाहकार के रूप में सेवाऐं देना।
- सहकारी समितियों के गठन, पंजीयन एवं संचालन प्रक्रिया का अध्ययन।
- ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में लघु/कुटीर उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन हेतु सहकारी समितियों का गठन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में लघु वन उपजों, जड़ी–बूटियों, गैर–रासायनिक सब्जियों–फलों के विपणन हेतु सहकारी समितियों की स्थापना।
- ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में साख–निर्माण हेतु सहकारी–संस्था की स्थापना, पंजीयन, कार्यप्रणाली, इत्यादि का अध्य्यन।

(ब) विज्ञान संकाय के क्षेत्र

(क) शासकीय/अर्द्ध–शासकीय क्षेत्र
(ख) निजी क्षेत्र
(ग) स्वरोज़गार क्षेत्र
(घ) सहकारी/गैर सरकारी संगठन

(क) शासकीय/अर्द्ध–शासकीय क्षेत्र की संस्थाऍ

1. केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान 2. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान 3. भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान 4. क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान 5. मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी परिषद 6. मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल 7. मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद 8. EPCO 9. CEDMAP 10. उद्यमिता विकास केन्द्र 11. नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण 12. शिक्षा विभाग 13. वन विभाग 14. कृषि विभाग 15. लोक निर्माण

विभाग 16. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग 17. स्वास्थ्य विभाग 18. सिंचाई विभाग 19. पशुपालन विभाग 20. मत्स्य विभाग 21. उद्यानिकी विभाग 22. जिला योजना 23. नगरीय निकाय (नगर–निगम, नगर–पालिका एवं नगर–पंचायत) 24. सहकारिता विभाग 25. मंडी बोर्ड 26. दुग्ध संघ जैसे विभागों की कार्य पद्धति का अध्ययन, कार्यालय की प्रशासनिक, लेखा, संगठन एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन, संबंधित कार्यालय में विभिन्न पदो पर आसीन व्यक्तियों द्वारा क्या कार्य किये जाते है। संबंधित पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? कितने पद रिक्त है? इत्यादि।

(ख) निजी क्षेत्र

1. सेवा क्षेत्र 2. स्थानीय उद्योग वृहत 3. लघु उद्योग 4. व्यापारिक संस्थाएॅ 5. मनोरंजन उद्योग 6. कृषि आधारित उद्योग आदि की कार्य पद्धति का अध्ययन कर रोज़गारों की उपलब्धता खोजना, इत्यादि।

(ग) स्वरोज़गार क्षेत्रों की सूची

1. डेयरी–फार्म 2. पोल्ट्री–फार्म 3. जैविक खाद बनाना 4. वर्मी कम्पोस्टिंग 5. फ्लोरी कल्चर 6. मशरूम कल्चर 7. टिशू कल्चर 8. पेथालाजी लैब 9. साईबर कैफे 10. जल एवं मृदा टेस्टिग यूनिट 11. रोपणी उद्योग (नर्सरी), इत्यादि।

(घ) सहकारी / गैर सरकारी संगठन

1. दुग्ध सहकारी समिति 2. मत्स्य सहकारी समिति 3. सहकारी बैंक 4. जैविक खेती 5. एन.जी.ओ. के माध्यम से विभिन्न अध्ययन 6. जड़ी बूटियों की खेती एवं विपणन, इत्यादि।

PROJECT WORK IN SCIENCE

1. फूलों की खेती 2. मशरूम की खेती 3. उद्यानिकी 4. औषधीय पौधों की खेती 5. खेती (मूसली आदि को) 6. वर्मी कल्चर 7. जैविक खाद 8. बायोडायवर्सिटी 9. नर्सरी 10. मत्स्य पालन 11. लैंड स्केपिंग (पौधों को लगाने हेतु) 12. बोनजाई 13. डायटीशियन 14. फोरेंसिक विज्ञान 15. मुर्गी पालन 16. पैथोलॉजी 17. इलेक्ट्रिशियन 18. इलेक्ट्रिक मोटर बाइंडिंग 19. कम्प्यूटर नेटवर्किग 20. कम्प्यूटर प्रोगाम 21. डाटाबेस बनाना 22. कॉल–सेंटर 23. इंटरनेट कैफे 24. साबुन उद्योग 25. मोमबत्ती उद्योग 26. फार्मेसी 27. बेकरी 28. प्रदुषण जाँच 29. कैमिकल बनाना (नील की खेती, सिरका बनाना) 30. दवा फैक्ट्री 31. प्रिंट टेस्टिंग 32. फूड एनालिसिस 33. कैमिस्ट 34. इत्र बनाना 35. निष्कर्षण (तेल आदि का) 36. अयस्कों की जांच. 37. वनस्पतिक रंजक 38. डिजास्टर मैनेजमेंट 39. सलाहकार 40. पेंट फैक्ट्री (रंगो) 41. केमीकल प्लाण्टस 42. इन्स्ट्रूमेंट ऑपरेटर 43. शिक्षक 44. कम्प्यूटर हार्डवेयर मैन्टेनेंस 45. रोजमर्रा के कार्यो यथा, महाविद्यालय में तनख्वाह, इनकम टैक्स, डाटाबेस, सुरक्षा, उपस्थिति, ई–नोटिंग हेतु सोफ्टवेयर बनाना, इत्यादि।

(स) गृह विज्ञान संकाय के क्षेत्र

परियोजना कार्य (आहार एवं पोषण)

(क) शासकीय / अर्ध शासकीय	(ख) निजी	(ग) स्वरोजगार	(घ) सहकारी गैर सहकारी संगठन
विभाग : शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, स्थानीय प्रशासन; अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे – युनिसेफ, डब्ल्यु. एच. ओ., युनाईटेड नेशन पापुलेशन फंड, इत्यादि	नर्सिंग होम, मेटरनिटी होम, डायबिटीज़ क्लीनिक, हार्ट हॉस्पिटल, फिटनेस सेंटर, स्लिमिंग सेंटर कार्पोरेट डायटीशियन, होटल – फूड क्वालिटी मैनेजर, रेस्टोरेन्ट, इत्यादि	जीवन कौशल परिवर्तन एवं पोषण केन्द्र, फिटनेस सेंटर, स्नेक्स सेंटर, टिफिन सेंटर, रेस्टोरेन्ट, ब्रेकफास्ट सेंटर, केंटीन मैनेजर फूड पिक अप पॉइन्ट, खाद्य संरक्षण केन्द्र, चपाती सेंटर, इत्यादि	सर्वे कार्य, नाट्य प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान, इत्यादि

(क) शासकीय / अर्ध शासकीय क्षेत्र

शिक्षा विकास	–	शिक्षक, व्याख्याता, सहायक प्राध्यापक
उच्च शिक्षा	–	जुनियर रिसर्च फैलो
स्कूल शिक्षा	–	छात्रावासों मे फूड क्वालिटी मैनेजर, स्कूलो मे पोषण सलाहकार
चिकित्सा शिक्षा	–	Reproductive Care & Health (RCH) एवं National Rural Health Mission (NRHM) के अंतर्गत सामुदायिक स्तर / स्वास्थ्य समीतियों का प्रशिक्षण।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण :

- अस्पतालों मे पोषण सलाहकार
- स्तनपान सलाहकार
- पोषण पुर्नवास केन्द्रों में पोषण
- सलाहकार एवं प्रशिक्षक

किसे सलाह देंगी ?

1. गर्भवती स्त्री
2. पोस्ट ऑपरेटिव केसेज
3. ह्दय रोगी
4. मधुमेह के रोगी
5. किडनी डिसीज़ के रोगी
6. सघन चिकित्सा इकाई के रोगी
7. कुपोषित बच्चे के देखभाल कर्ता
8. कुपोषित, रक्ताल्पता पीड़ित किशोरी
9. मोटे बच्चे / किशोर / व्यस्क

महिला एवं बाल विकास विभाग में :

- आँगन बाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण
- पर्यवेक्षक, एवं
- जिला महिला बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी

चिन्हाँकित क्षेत्रों में :

जहाँ कुपोषित बच्चों/किशोरियों/स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो एवं Micronutrical deficiency हो अकाल या त्रासदी जैसे भूकंप आदि। 3 माह से 6 माह की Short term परियोजना कार्य करके इसके प्रभाव (impact) का अध्ययन करना स्थानीय संसाधनों का समुचित प्रयोग एवं सामुदायिक प्रशिक्षण कार्य। इस हेतु महिला बाल विकास/स्थानीय प्रशासन/स्वास्थ्य विभाग से आर्थिक संसाधन एवं सहयोग प्राप्त करना।

स्थानीय प्रशासन : फूड–इन्सपेक्टर का कार्य।

अंतर्राष्ट्रीय संगठन :

यूनीसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनाईटेड नेशन्स पापुलेशन फंड आदि के द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्यस्तर पर लोक स्वास्थ्य समस्याओं के निवारण हेतु/रोकथाम हेतु महाविद्यालयों से एम. ओ. यू करके, वित्तीय संसाधन प्राप्त कर, राज्य के हित में विद्यार्थियों के तकनीकी ज्ञान का उपयोग, लोक स्वास्थ्य समस्या संबंधी, उपचार, बचाव, एवं प्रशिक्षण का कार्य करवाना।

मध्यप्रदेश एड्स कंट्रोल सोसायटी :

एड्स एवं पोषण पर शोध हेतु, परियोजना पर कार्य हेतु वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्राप्तकर विद्याथियों को HIV पाजीटिव एवं AIDS के रोगियों के स्वास्थ्य के अध्ययन का अवसर प्रदान करना।

सरकारी विभाग

1. ग्रामीण विकास विभाग
2. महिला एवं बाल विकास विभाग
3. स्वास्थ्य विभाग
4. जनगणना विभाग
5. जेल विभाग
6. जनजातीय विकास विभाग
7. सभी सामाजिक शोघ विभाग
8. श्रम कल्याण विभाग
9. बैंक में लायजनिंग विभाग
10. पंचायत विभाग
11. सभी गैर सरकारी संगठन जो बच्चों, महिलाओं, वृद्धो, अपंग व्यक्तियों के लिये कार्य करते हैं।

12. नगरीय नियोजन एवं प्रबंधन विभाग।
13. नगरपालिका / नगर निगम
14. म. प्र. विधानसभा
15. उद्योग विभाग / जिला उद्योग केन्द्र
16. विज्ञापन का प्रभाव (शासकीय / अशासकीय)
17. शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन
18. शिक्षा (प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च)
19. समाचार पत्र / पत्रिकायें / मिडिया
20. इत्यादि

(ख) <u>निजी क्षेत्र में</u>

व्सावासायिक कौशल प्राप्त करने के पश्चात निम्न संस्थानों में पोषण सलाहकार का कार्य फुलटाइम / पार्टटाइम कर सकते है :

- नर्सिंग होम – ओ.पी.डी / Admitted patients
- मेटरनिटी होम – ओ.पी.डी / Admitted patients
- डायबिटीज़ क्लीनिक
- हार्ट हॉस्पिटल
- फिटनेस सेंटर
- स्लिमिंग सेंटर
- योग केन्द्र
- कार्पोरेट डायटीशियन
- होटल में फूड क्वालिटी मैंनेजर
- रेस्टोरेन्ट में फूड क्वालिटी मैनेजर
- ब्यूटी पार्लर / स्किन केयर सेंटर

(ग) स्वरोज़गार के क्षेत्र में

क्लीनिकल न्यूट्रिशन, कुकिंग, फूड क्वालिटी कंट्रोल आदि संबंधित व्यावसायिक कौशल एवं शासन की विभिन्न स्वरोज़गार स्थापित करने, वित्तीय सहायता हेतु योजनाओं की जानकारी के साथ–साथ उद्यमिता की अभिवृत्ति रखने वाले विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित व्यवसाय स्थापित करने की संभावना है :

- जीवन शैली रूपांतरण एवं पोषण पुर्नवास केन्द्र (Life Style Modification & Nutrition Rehabilitation Centre)
- फिटनेस सेंटर / स्लिमिंग सेंटर
- स्नेक्स सेंटर

- टिफिन सेंटर
- चपाती सेंटर
- कैंटीन मैनेजर, मैस मैनेजर : शिक्षण संस्थानों में, अस्पतालों में, खेल संस्थानों में, छात्रावासों में, खेल छात्रावासों में फूड पिक अप पॉइन्ट।
- सदस्यता शुल्क अदा करके फोन पर ऑर्डर करके भोजन तैयार करवाने की सुविधा प्रदान करना। अग्रिम ले कर के नियमित समय पर भोजन तैयार करवाने की व्यवस्था करना *जैसे :* बर्थ डे पार्टी/किटी पार्टी आदि के लिए।

- **खाद्य संरक्षण केन्द्र**

  अचार, सॉस, सब्जियाँ, फलों का जेम, मुरब्बा कैंडी हेतु उपकरण क्रय करके ऑर्डर पर या विक्रय हेतु उपरोक्त वस्तुएँ बनाना और विक्रय करना।

- **खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र**

  प्रसंस्कृत सब्जियाँ, फल सोया दुध, सोया आटा , सोया पनीर आदि बनाना और विक्रय करना।

- दैनिक अखबारों/साप्ताहिक मैग्ज़ीन/पत्रिकाओं में नियमित रूप से पोषण शिक्षा, सही आहार, मौसम के फल सब्जियाँ, क्या खाएँ? सवाल आपके जवाब हमारे, डायबिटीज, पोषण आहार, विश्व स्तनपान सप्ताह, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व ह्दय दिवस, विश्व हाइपरटेंशन डे आदि पर कॉलम लिखना।

- शासकीय एवं निजी रेडियो/टी.वी. पर वार्ताएँ, परिचर्चा, फोन इन कार्यक्रम में जवाब देना।

(घ) अशासकीय संस्थाओं में

सर्वेक्षण कार्य करना

जन–जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यो में मास्टर ट्रेनर का कार्य

परियोजना समन्वयक/सहायक का कार्य

लोक स्वास्थ्य समस्याओं की और ध्यानाकर्षण हेतु निदान, बचाव एवं उपचार हेतु नारे, लोकगीत नुक्कड़ नाटक, प्रचार प्रसार सामग्री, कैलेंडर डिज़ाइन करना।

परियोजना कार्य (वस्त्र एवं तन्तु विज्ञान)

(क) शासकीय/अर्ध शासकीय क्षेत्र

- **ATIRA** अटीरा, पावंरलूम सर्विस सेन्टर तथा वस्त्र परिक्षण इन्दौर।
- बुनकर सेवा केन्द्र, पोलोग्राउन्ड इन्दौर, (वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार) **www.wscindore.co.in**
- हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय– जिला, राज्य एवं केन्द्र स्तरीय योजनाएं, मध्य प्रदेश शासन।
- एपेरेल ट्रेनिंग एवं डिजाइन सेन्टर (एपेरेल एक्सपोर्ट प्रामोशन कांउसिल, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार इन्दौर शाखा फोनः 0731–4237194) **www.aepcindia.com**
- रेशम संचालनालय, म.प्र. शासन ,प्रशिक्षण, शोध कार्य एवं रोजगार।
- ग्रामीण उघोग विभाग– औद्योगिक प्रशिक्षण।
- मध्यप्रदेश हस्त शिल्प एवं हाथ करघा निगम लिमि.।
- मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड (उदाहरण बायो–खादी प्रोजेक्ट ग्राम तेजपुर, जिला उज्जैन) ।

(ख) निजी क्षेत्र में

1. जरी सेन्टर भोपाल।
2. नाहर स्पिनिंग मिल्स, मन्ड़ीदीप।
3. वर्धमान क्लाथ मिल्स।
4. परिधान निर्माण units.
5. कारपेट इन्ड़स्टीज।
6. Dyeing units.
7. Design studios.
8. Fashion designers.
9. Fashion institutes.

(ग) स्वरोज़गार के क्षेत्र में

1. बाघ छपाई जिला–धार एवं उज्जैन।
2. अन्य ठप्पे की छपाई इकाई।
3. भैरवगड़ छपाई की इकाई।
4. कढ़ाई की इकाईया।
5. Weaving units at Maheshwar.
6. Weaving units at Chanderi.
7. Zari workers.
8. Local drycleaners/laundries.
9. Local machine embroiders.
10. Local hand embroiders.
11. Local dyers.
12. Fashion designers.
13. Local Boutiques/ tailors

परियोजना कार्य (गृह–व्यवस्था)

(क) शासकीय/अर्ध शासकीय क्षेत्र

1. Directorate of town and country planning.
2. EPCO.
3. Housing Board.
4. Pollution control board.
5. M.P. Khadi and village industry board.
6. Housing and environment.
7. M.P. tourism.
8. M.P. Hasthshilp evam hathkarga nigam lilmited.

(ख) निजी क्षेत्र में

1. Carpet industries.
2. Hotels and restaurants.
3. Toy manufacturers.
4. Soft toy making units.
5. Soft furnishing units/outlets.
6. Local architects/interior decorators.
7. Private construction companies / colonizers.
8. Furniture manufacturing units/outlets.

(ग) स्वरोज़गार के क्षेत्र में

1. पुष्प सज्जा
2. Soft toy बनाना
3. Soft Furnishing बनाना
4. Interior decorators
5. Hotels and restaurant.

परियोजना कार्य (विस्तार एवं शिक्षा)

(क) शासकीय/अर्ध शासकीय क्षेत्र

1. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. जनस्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महिला बाल विकास विभाग।
4. दूरदर्शन।
5. All India Radio
6. कृषि विकास केन्द्र।
7. कृषि विभाग।

(ख) निजी क्षेत्र में

1. Communication media centres.
2. Multimedia centres.
3. FM radio.
4. News channels.
5. Magazines/newspapers/ reports.
6. Script writing.

(ग) अंतर्राष्ट्रीय संगठन

1. यूनीसेफ
2. विश्व स्वास्थय संगठन, यूनाईटेड नेशन्स पापुलेशन फंड आदि के द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर लोक समस्याओं के निवारण

(घ) **सहकारी एवं गैर सरकारी संगठन**

1. स्थानीय विभिन्न गैर सरकारी संगठन (NGO)

(द) कला संकाय के क्षेत्र

साहित्य :

शासकीय, निजी एवं स्वरोजगार : 1. अनुवाद 2. प्रुफरीडिंग 3. क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दकोष 4. पत्रकारिता 5. विज्ञापन 6. प्रतिवेदन लेखन 7. पुस्तक लेखन 8. पुस्तक रिव्यू 9. मीडिया 10. टेलीविजन, इत्यादि

संस्कृत :

1. कर्मकांडी 2. ज्योतिष 3. अनुवाद 4. अभिनय 5 संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद 6. उपदेशक 7. प्रवाचक 8. मिल्ट्री में धार्मिक शिक्षक, इत्यादि

अर्थशास्त्र :

1. बैंकिंग क्षेत्र – पी.ओ., अधिकारी, लिपिक
2. वित्तीय क्षेत्र – वित्तीय प्रबंधन अधिकारी
3. सांख्यिकी अधिकारी
4. मार्केटिंग क्षेत्र – निजी विक्रेता
5. मानव संसाधन
6. योजना आयोग, आर्थिक सलाहकार
7. कृषि क्षेत्र – कृषि अधिकारी, विपणन अधिकारी मंडी बोर्ड
8. औद्योगिक क्षेत्र – प्रबंधक से लेकर विक्रय तक में भागीदारी
9. पर्यावरणीय क्षेत्र – एप्को, विभिन्न अधिकारी
10. भारतीय विदेशी व्यापार (आई. एफ. टी.) जी, देशों में भागीदारी
11. जनगणना विभाग – अधिकारी
12. बहुराष्ट्रीय निगमों मे संभावनाएं
13. भारतीय आर्थिक सेवाऐं, प्रशासनिक अधिकारी (आई. ई. एस.)
14. पूंजी बाजार, म्युचल फंड, विनियोजन, प्रबंधक
15. भारतीय वन सेवा प्रबंधन (आई. आई. एफ. एम.) अनुसंधानकर्ता अधिकारी वर्ग
16. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अधिकारी से लेकर लिपिक वर्ग तक
17. बीमा क्षेत्र, निजी एवं शासकीय क्षेत्र में प्रबंधक अधिकारी एवं लिपिक वर्ग तक
18. परिवहन विकास क्षेत्र – अधिकारी एवं लिपिक वर्ग तक

बहुराष्ट्रीय निगम स्वरोज़गार के अवसरों में निम्नानुसार मदद कर रहा है :

1. ऋण प्रदान करके
2. शेयर मे भागीदारी देकर
3. फ्रेन्चायजी देकर
4. डीलरशिप देकर
5. देशी एवं विदेशी– निवेशकों से बाजार का विस्तार

<u>इतिहास</u> :

1. सामान्य–ज्ञान में इतिहास विषय से लगभग 80 प्रतिशत होने के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये यह एक उपयोगी विषय है।
2. संग्रहालय में सभी पदों में इतिहास विषय के ही विद्यार्थी जा सकते है।
3. पुरातत्व विभाग में विद्यार्थी जा सकते है।
4. पर्यटन विभाग में इतिहास के विद्यार्थियों के लिये गाइड, होटल में रिसेप्शन की नियुक्ति हो सकती है।
5. प्राचीन सिक्के, अभिलेख, रजिस्टर, शिला में जहाँ खुदाई होती है इतिहास के विद्यार्थियों को बुलाया जाता है।
7. प्राचीन इमारतों का संरक्षण
8. प्राचीन बावड़ियाँ, गढ़ी, पहाड़ियों इत्यादि के दुर्लभ चित्रों का संकलन
9. पर्यटन वर्ष के दौरान विशेष अवसर
10. प्राचीन एतिहासिक नगर
11. प्राचीन वस्तुएँ (दुर्लभ)
12. प्राचीन शिलालेख, स्तम्भ
13. प्राचीन पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ, जनभुतियाँ मायावर द्वारा बताये मार्ग, प्राचीन सुरंगें
14. प्राचीन मूर्तिकला एवं चित्रकला
15. प्राचीन सिक्के, दस्तकारी, प्राचीन कुटीर एवं लद्यु उद्योग

<u>मनोविज्ञान</u> :

सरकारी एवं गैर सरकारी

हॉस्पिटल : पैशेंट केयर टेकर कम–काउंसलर

मैंटल हैल्थ केयर सेंटर : Provide testing the abnormal behaviours and help the person, who need support and help as a psychology students.

पब्लिक रिलेशन ऑफिसर : Psychology students works as PRO in different organizations with psychological skills.

मनोचिकित्सक : मनोचिकित्सक के साथ सहयोगी मनोवैज्ञानिक के रूप मे कार्य कर सकते है।

P.G. students Organisational sectors में मनोवैज्ञानिक की भूमिका – Worker and Management के बीच सामंजस्य स्थापित करने में।

डिस्एबलिटी के क्षेत्र में : निशक्तता के क्षेत्र में पुनर्वास एवं शिक्षा संबंधी कार्य।

<u>समाज शास्त्र</u> :

1. ग्रामीण विकास विभाग
2. महिला एवं बाल विकास विभाग
3. स्वास्थ्य विभाग
4. जनगणना विभाग
5. जेल विभाग
6. जनजातीय विकास विभाग
7. सभी सामाजिक शोघ विभाग
8. श्रम कल्याण विभाग
9. बैंक मे लायजनिंग विभाग
10. पंचायत विभाग
11. सभी गैर सरकारी संगठन जो बच्चों, महिलाओं, वृद्धो, अपंग व्यक्तियों के लिये कार्य करते हैं।
12. नगरीय नियोजन एवं प्रबंधन विभाग
13. नगरपालिका / नगर निगम
14. म.प्र. विधानसभा
15. उद्योग विभाग / जिला उद्योग केन्द्र
16. विज्ञापन का प्रभाव (शासकीय / अशासकीय)
17. शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन
18. शिक्षा (प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च)
19. समाचार–पत्र / पत्रिकायें / मिडिया

<u>राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन</u> :

1. अखिल भारतीय एवं राज्य प्रशासनिक सेवा
2. पंचायत विभाग एवं स्थानीय प्रशासन विभाग
3. शिक्षा विभाग में अध्यापन का कार्य
4. जनसम्पर्क विभाग में (जनसम्पर्क अधिकारी के रूप में)
5. अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों में
6. शोघ एवं सर्वेक्षण संस्थाओ में रोज़गार
7. गैर सरकारी संगठनों में
8. मानव अधिकार क्षेत्र में
9. मीडिया एवं पत्रकारिता में रोज़गार
10. निजी क्षेत्र एवं कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रबन्धन के अवसर
11. मानव संसाधन विकास अधिकारी के रूप में
12. राजनीति के क्षेत्र में अवसर

स्वरोजगार हेतु – फ्रीलान्सिंग – जैसे चुनावी विशलेषण सैफालाजिस्ट

भूगोल :

1. नगर नियोजन विभाग – शहरी सरकारी योजना
2. भारतीय सर्वेक्षण विभाग – सरकारी
3. मौसम विज्ञान केन्द्र – सरकारी
4. कृषि विभाग – सरकारी
5. पर्यटन विभाग – गैर सरकारी
6. पर्यावरण विभाग – गैर सरकारी
7. खनन् विभाग – गैर सरकारी
8. उद्योग विभाग – सरकारी और गैर सरकारी

स्वरोज़गार हेतु –

(1) **पर्यटन** – टूरिस्ट गाइड, टूरिस्ट सेंटर खोलना।

(2) **कृषि विभाग** – कृषि उत्पाद से विभिन्न प्रकार की वस्तुऐं बनाना, उत्तम क्वालिटी के बीज, सिंचाई, फसलों की नई किस्में एकत्रित कर उनका विक्रय करना अथवा ग्रामीण लोगों को इसकी जानकारी देना। फलोत्पादान, फूल उत्पादन कर अनेक प्रकार के व्यवसाय निजी तौर पर करना।

(3) **उद्योग विभाग** – विभिन्न प्रकार के उत्पादन जो उस स्थान पर आसानी से तैयार हो सकते है उनहे स्वरोजगार के लिये अपनाना जैसेः ऊनी वस्त्र उद्योग–स्वेटर शाल बनाना, शक्कर उद्योग – विभिन्न प्रकार की खाद्य वस्तुऐं तैयार करना, सूती वस्त्र उद्योग – सूती वस्त्रो से रेडीमेड कपड़े तैयार करना, तथा अन्य आवश्यक वस्तुऐं तैयार करना, इत्यादि।

(4) **खनन उद्योग** – विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थरों से नग तैयार करना, ज्वेलरी डिज़ाइन करना, मोती, माणिक, मूंगा इत्यादि से बहूमूल्य रत्नों को उपलब्ध संस्थानों से मंगवाकर स्थानीय लोगों में विक्रय करना, इत्यादि।

(5) **पर्यावरण विभाग** – एन. जी. ओ. बनाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना। वनोपज को एकत्रित करना, जड़ी बूटी एकत्रित कर बेचना जैसेः आँवला, शिकाकाई, मेहंदी पावडर, इत्यादि।

नृत्य एवं संगीत

1. गायन 2. विभिन्न प्रकार के वाद्यों का वादन 3. रेडियो एवं टी.वी. चैनल पर समूह गान 4. एकल गान 5. आकाशवाणी में कम्पोजर 6. संगीतकार 7. टी.वी. 8. रेडियो एवं सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित व्यक्तिगत प्रदर्शन 9. अभिनय, इत्यादि।

विद्यार्थियों के लिए परियोजना–कार्य की रूपरेखा

सेमेस्टर–पद्दति के अन्तर्गत समस्त संकायों में, प्रत्येक सेमेस्टर में, प्रत्येक विद्यार्थी को एक परियोजना कार्य (Project-Work) अनिवार्यतः पूर्ण करना होगा। परियोजना कार्य संबंधी बिन्दुवार निर्देश निम्नानुसार है :

1. प्रत्येक विद्यार्थी को उसके द्वारा लिये गये तीन मुख्य–विषयों में से (आधार पाठयक्रम को छोड़कर) किसी एक विषय से संबंधित परियोजना कार्य का चयन करना होगा।
2. विभागाध्यक्ष द्वारा परियोजना कार्य हेतु विद्यार्थियों के लिये विषय–विशेषज्ञ (निर्देशक)/गाइड का नाम निर्धारित किया जावेगा।
3. प्रत्येक विद्यार्थी को परियोजना कार्य (Project-Work) से संबंधित प्रतिवेदन (Report) निर्धारित प्रारूप में अनिवार्यतः प्रत्येक सेमेस्टर में अंतिम शैक्षणिक कार्य दिवस के 15 दिवस पूर्व अपने–अपने निर्देशक (गाइड) के माध्यम से विभाग में जमा करनी होगी।
4. परियोजना कार्य हेतु न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण होने के लिये आवश्यक है।
5. परियोजना कार्य जमा नहीं करने की स्थिति में विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित किया जावेगा एवं परीक्षा नियमानुसार उसे ए.टी.के.टी. अथवा अनुत्तीर्ण घोषित किया जावेगा।

निर्देशक (गाइड)

1. विद्याार्थियों को अपना परियोजना कार्य, विभागाध्यक्ष द्वारा चिंहित गाइड (निर्देशक) के निर्देशन में पूर्ण करना होगा।
2. परियोजना कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान यथासंभव निर्देशक (गाइड) द्वारा किया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में विभागाध्यक्ष अथवा प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।

परियोजना हेतु निर्धारित समय

1. प्रत्येक सेमेस्टर में परियोजना–कार्य हेतु लगभग 50 मानव–घंटे (Man hours) और 50 अंक निर्धारित किये गये है।
2. प्रत्येक विद्यार्थी परियोजना–कार्य को अपने नियमित अध्ययनकाल के अतिरिक्त समय में पूर्ण करने का प्रयास करेगा।

3. परियोजना कार्य के स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकता अनुरूप एक सेमेस्टर में अधिकतम तीन दिवसों का अध्ययन–अवकाश, गाइड से अग्रेषित आवेदन पर विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। संबंधित संस्था द्वारा हस्ताक्षरित उपस्थिति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उपस्थिति का लाभ समस्त विषयों में विद्यार्थी को दिया जावेगा।

परियोजना कार्य का मूल्यांकन

1. प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट–रिपोर्ट (परियोजना–कार्य के प्रतिवेदन) पर एक मौखिक परीक्षा आयोजित की जावेगी।
2. प्रथम / तृतीय / पंचम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिये मौखिक परीक्षा अर्थात परियोजना कार्य के मूल्यांकन का स्वरूप आंतरिक होगा। इन सेमेस्टरों में परियोजना कार्य का मूल्यांकन संस्थागत स्तर पर निर्देशक (गाइड) द्वारा किया जावेगा।
3. द्वितीय / चतुर्थ / छठम् सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिये मौखिक परीक्षा अर्थात परियोजना कार्य के मूल्यांकन का स्वरूप बाह्य होगा। इन सेमेस्टरों में परियोजना कार्य का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाहय परीक्षकों द्वारा आंतरिक परीक्षकों के सहयोग से किया जावेगा। स्वशासी महाविद्यालय में इनकी नियुक्ति प्राचार्य / परीक्षा–नियंत्रक द्वारा की जावेगी।
4. परियोजना–कार्य की मौखिक परीक्षा प्रोजेक्ट–रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के 10 दिवसों के अंदर आयोजित की जावेगी।
5. परियोजना–कार्य में मूल्यांकन का आधार निम्न बिंदुवार होगा :

(i)	परियोजना कार्य का प्रतिवेदन	25 अंक
(ii)	प्रस्तुतिकरण (Presentation)	15 अंक
(iii)	मौखिक परीक्षा (Viva-Voce)	10 अंक
	कुल	50 अंक

<u>टीप</u>: मौखिक परीक्षा के दौरान निर्देशक (गाईड) / बाह्य–परीक्षक के समक्ष परियोजना कार्य की अप्रमाणिकता अथवा यह प्रमाणित हो कि विद्यार्थी ने परियोजना कार्य स्वयं नहीं किया है तो विद्यार्थी को शून्य अंक आंवटित किए जा सकते है।

परियोजना कार्य की विस्तृत रूपरेखा का प्रारूप (*)
Proforma (*) for the detailed synopsis of the Project-Work

(Applicable only to the first & second semester of UG & PG classes)

1. परियोजना कार्य का शीर्षक : ....
   (Title of the Project-Work)

2. पाठ्यक्रम **(Course)** का चयन करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है ?
   ....
   ....

3. रोज़गार/स्वरोज़गार, उच्च–शिक्षा, नौकरी इत्यादि क्षेत्रों में रोज़गार की संभावनाओं को खोजने की दिशा में आपके द्वारा किये गये प्रयासों का किसी एक विकल्प पर विस्तृत विवरण।

   <u>विकल्प से संबंधित निम्न आधारो पर बिन्दुवार विवरण :</u>

   (i) विकल्प का नाम : ....

   (ii) विकल्प निम्नलिखित क्षेत्रों में किससे संबंधित है ?

   (क) शासकीय/अर्द्धशासकीय
   (ख) निजी
   (ग) स्वरोजगार
   (घ) सहकारी/गैर सरकारी संगठन

   ....

   (iii) विकल्प का चयन करने में आपको किससे प्रेरणा मिली ?

   ....
   ....

   (iv) विकल्प के लिये न्यूनतम अहर्ताएँ :

   शैक्षणिक : ....
   ....

   तकनीकी : ....
   ....

   अनुभव : ....
   ....

(v) विकल्प के लिये अतिरिक्त/उच्च शिक्षा की आवश्यकताएँ :

....
....

(vi) विकल्प के लिये प्रतियोगी परीक्षा/ट्रैनिग इत्यादि से संबंधित जानकारी :

....
....

(vii) विकल्प से संबंधित जानकारियॉ अर्जित करने के लिये आपके द्वारा सर्वेक्षित (विजिट की गयी) सरकारी/गैर–सरकारी/निजी संस्थाओं का नाम एवं पता :

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

(viii) सर्वेक्षित (विजिट की गयी संस्थाओं से प्राप्त जानकारी/किये गये कार्यो का तिथिवार विवरण :

क्रमांक	दिनांक	संस्था का नाम	सम्पर्क किये गये व्यक्तियों का –		कार्य/प्राप्त की गयी जानकारी का संक्षिप्त विवरण
			नाम	दूरभाष	

(ix) विद्यार्थी द्वारा उपरोक्त विकल्प से संबंधित जानकारियॉ एकत्रित करने में किये गये विशेष प्रयासों का विस्तृत ब्यौरा (संदर्भ–सूची के साथ) :

....
....
....

(x) उपरोक्त विकल्प क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियॉ एवं संभावित उपाय :

....

....

(xi) परियोजना अध्ययन के दौरान विद्यार्थी ने सैद्धान्तिक कक्षा अध्यापन एवं उसकी व्यावहारिक उपयोगिता के मध्य क्या अंतर पाया :

....

....

(xii) उपर्युक्त बिंदु (xi) के संदर्भ में सैद्धांतिक अध्यापन से अन्य अपेक्षाएं :

....

....

विशेष टीप :

(अ) उपरोक्तानुसार वर्णित प्रारूप में आवश्यकतानुसार लिखने का स्थान (Writing space) बढ़ाया जा सकता है।

(ब) द्वितीय–सेमेस्टर में विद्यार्थी द्वारा किसी अन्य विकल्प के लिये उपरोक्तानुसार वर्णित प्रारूप में परियोजना कार्य का प्रतिवेदन (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) प्रस्तुत किया जावेगा।

(स) द्वितीय–सेमेस्टर की प्रोजक्ट रिपोर्ट में निम्नानुसार तीन अतिरिक्त बिन्दु उपरोक्त प्रारूप में जोड़े जावेगें :

(xiii) प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में लिये गये विकल्पों का तुलनात्मक अध्ययन :

....

....

(xiv) विद्यार्थी द्वारा भविष्य की संभावनाओं एवं स्वयं की अभिरूचि को ध्यान में रखते हुए चयनित विकल्प का नाम :

....

(xv) उपरोक्त विकल्प चयन करने का विस्तृत कारण :

....

....

....

(*) *यह प्रारूप (Wordfile) उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट* ***www.mpgov.in/higher education*** *से डाउनलोड किया जा सकता है।*

परियोजना कार्य का प्रतिवेदन (प्रोजेक्ट–रिपोर्ट) तैयार करने के संबंध में अन्य आवश्यक निर्देश :

- प्रतिवेदन A4 आकार (साईज) के पृष्ठों पर हस्तलिखित (प्रथम–सेमेस्टर हेतु) होना चाहिये।

- पृष्ठ का विवरण (Page Specification) :

Left Margin	-	3.0 cms
Right Margin	-	2.0 cms
Top Margin	-	2.5 cms
Bottom Margin	-	2.5 cms

  Page Numbers - All text pages should be numbered at the bottom centre of pages in the format *Page **X** of **Y**.*

  *(Where: **X** = Page Number & **Y** = Total number of pages in the report)*

- प्रतिवेदन का फार्मेट (Report format) :
  - मुख्य पृष्ठ – फार्मेट के अनुरूप (Cover Page – As per format)
  - आभार (Acknowlegement)
  - विद्यार्थी का घोषणापत्र – फार्मेट के अनुरूप (Declaration of the Student – As per format)
  - सर्वेक्षित संस्था का प्रमाण–पत्र (Certificate of the surveyed Institution – As per format)
  - परियोजना कार्य की विस्तृत रूपरेखा (Detailed Synopsis of the Project Work – As per format)

- फार्मेट (Format) :
  - मुख्य पृष्ठ (Cover Page)

परियोजना कार्य का शीर्षक
Title of the Project

कक्षा एवं सेक्शन का नाम
Name of the Class & Section

Project report submitted to –

महाविद्यालय का नाम
Name of the College

हस्ताक्षर (निर्देशक) : ....
Signature (Guide)

हस्ताक्षर विद्यार्थी : ....
Signature (Student)

निर्देशक का नाम : ....
Name of the Guide

विद्यार्थी का नाम : ....
Signature (Student)

विद्यार्थी का अनुक्रमांक : ....
Student's Roll Number

▪ विद्यार्थी के घोषणा–पत्र का फार्मेट (Format for Declaration of the student)

<u>विद्यार्थी का घोषणा–पत्र</u>

मैं .... (विद्यार्थी का नाम) आत्मज/आत्मज श्री/श्रीमती .... (अभिभावक/पालक का नाम) घोषित करता/करती हूँ कि संलग्न परियोजना कार्य मेरे द्वारा स्वयं पूर्ण किया गया है एवं मौलिक है। उक्त परियोजना कार्य मैंने प्रो./डॉ. .... विभाग .... के मार्गदर्शन में पूर्ण किया है।

दिनांक : ....

स्थान : ....

विद्यार्थी के हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

कक्षा : ....

अनुक्रमांक : ....

पता : ....
....

दूरभाष : ....

<u>Declaration of the Student</u>

I …………………………..... son/daughter of …………………………….. certify that the project report entitled ....……………………… ………….……………………………….. prepared by me is my personal and an authentic work under the guidance of ……………………...……….......... .... *(Name of Guide with Department).*

Date : ………………

Place : ……………..

Signature of the Student: ……………….

Name: ....

Class: ....

Roll Number: ....

Address: ....
....

Contact Number: ....

- सर्वेक्षित संस्था के प्रमाण–पत्र का फार्मेट (Format of the Certificate of the surveyed Institution)

<u>सर्वेक्षित संस्था का प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. .... *(विद्यार्थी का नाम)* ने अपने परियोजना कार्य को पूर्ण करने हेतु इस कार्यालय/संस्था में उपस्थित हुए। परियोजना कार्य के दौरान इनका कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक रहा।

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

पद : ....

कार्यालय/संस्था : ....

स्थान : ....

दिनांक : ....

<u>Certificate of the Surveyed Institution</u>

This is to certify that Mr./Ms. ……………... *(Name of the student)* has visited our office/Institution for his/her project work. During the project work his/her work and behaviour was satisfactory.

Date: ………………..

Place: ……………….

Signature: ….………………………

Name: ……………………………..

Designation: ……………………

Office/Institution: ……………….